



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 387(अ).—पूर्व के पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (v) के अंतर्गत 14 सितम्बर, 2006 की तारीख को जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिया था कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से भारत के किसी भाग में उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मूच्चीबद्ध नई परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए अपेक्षित निर्माण कार्य अथवा मौजूदा परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण का कार्य, जिसमें प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी और या उत्पाद के मिश्रण में परिवर्तन के साथ असत्ता में वृद्धि करना शामिल है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा, जो भी स्थिति हो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् गठित राज्य-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा;

और, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे उक्त अधिसूचना में और मंशोधन लाने के लिए तैयार किया गया है, जन-सामान्य, जो इस अधिसूचना से प्रभावित हो सकते हैं, के मूल्यनार्थ प्रकाशित किया जाता है; और एनद्वारा यह मूल्यनार्थी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जन-सामान्य को इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

जो कोई प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर आक्षेप या सुझाव देना चाहे, वह अपने आक्षेपों या सुझावों को लिखित रूप में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ मन्त्रिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग गोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पर menong@cag.gov.in और sharath.kr@gov.in पर प्रेपित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

वर्ष 2030 तक पर्यावरणीय सुरक्षाओं के साथ समझौता किए विना पेट्रोल के साथ 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु जैव-ईधनों के उत्पादन में वृद्धि पर जोर को ध्यान में रखते हुए आसावनियों और इथेनॉल भंडारण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को युक्तिमंगत बनाना और उसमें शीघ्रता लाना आवश्यक है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (मंरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (मंरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पूर्व के पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 14 मितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

- उक्त अधिसूचना में, अनुमूली में, मद मं. 5 (छ) और उसमें मंवंशित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

परियोजना/कार्यकलाप	अधिकतम सीमा के साथ श्रेणी		शर्त यदि कोई हो
	क	ख	
5	विनिर्माण/नकल		
5 (छ)	शीरा आधारित आसवनियां > 100 KLD	शीरा आधारित आसवनियां < 100 KLD	सामान्य शर्तें लागू होंगी
	गैर-शीरा आधारित आसवनियां > 200 KLD	गैर-शीरा आधारित आसवनियां < 200 KLD	

- उक्त अधिसूचना में, अनुमूली में, मद मं. 6 (ख) और उसमें मंवंशित प्रविष्टियों का लोप कर दिया गया है।

[फा. मं. आईए-जे.11013/55/2017.आईए. II (I) पार्ट]

गीता मेनन, मंयुक्त मन्त्रिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 मितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तदनन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा इसमें संशोधन किया गया था:-

- का.आ. 1949 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2006;
- का.आ. 1737 (अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2007;
- का.आ. 3067 (अ), दिनांक 01 दिसम्बर, 2009;
- का.आ. 695 (अ), दिनांक 04 अप्रैल, 2011;

5. का.आ. 156 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555 (अ), दिनांक 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731 (अ), दिनांक 09 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599 (अ), दिनांक 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601 (अ), दिनांक 07 अक्टूबर, 2014;
16. का.आ. 2600 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2014;
17. का.आ. 3252 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382 (अ), दिनांक 03 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142 (अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141 (अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834 (अ), दिनांक 06 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648 (अ), दिनांक 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2016
30. का.आ. 3518 (अ), दिनांक 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999 (अ), दिनांक 09 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2016;
33. का.आ. 3611 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2018
35. का.आ. 5733 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2018;
36. का.आ. 5736 (अ), दिनांक 15 नवम्बर, 2018;
37. का.आ. 5845 (अ), दिनांक 26 नवम्बर, 2018;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 387(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the following draft of the notification, further to amend the said notification, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at menong@cag.gov.in and sharath.kr@gov.in.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, there is a need for rationalizing and expediting the environment clearance for distilleries and ethanol storage in view of the emphasis on increasing production of biofuels to meet the target of 20% blending with petrol by the year of 2030 without compromising environmental safeguards.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:—

1. In the said Notification, in the SCHEDULE, for item 5(g), and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:

Project/ Activity	Category with threshold limit		Conditions, if any
	A	B	
5	Manufacturing/Fabrication		
5(g) Distilleries	Molasses based distilleries > 100 KLD Non-molasses based distilleries >200 KLD	Molasses based distilleries ≤ 100 KLD Non-molasses based distilleries ≤ 200 KLD	General Condition shall apply

2. In the said Notification, in the SCHEDULE, item 6(b), and entries relating thereto stand deleted.

[F. No. IA-J-11013/55/2017.IA.II(I) pt]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018 and
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018.

3765